[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क

अधिसूचना
सं. 01/2023-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 जनवरी, 2023

सा.का.नि._____(अ).– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 818(अ), तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 14/2017-केंद्रीय कर, तारीख 1 जुलाई, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में- क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अधिकारी	वे अधिकारी जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
"8क.	अपर सहायक निदेशक, माल और सेवा कर आसूचना या अपर सहायक निदेशक, माल और सेवा कर या अपर सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा।	अधीक्षक"

(फा. सं. सीबीआईसी-20006/17/2022-जीएसटी)

(राघवेंद्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 14/2017-केंद्रीय कर, तारीख 1 जुलाई, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 818(अ), तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।